



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276663
CG-DL-E-30092026-276663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5189]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5189]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2026

सं. 40/2026-27

विषय: आइटीसी एचएस, 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29 के अंतर्गत शामिल सल्फाडायज़ीन एपीआई पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त के विस्तार के संबंध में।

का.आ. 5398(अ).— समय-समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी एचएस, 2022 अनुसूची-I (आयात नीति) अध्याय 29 के अन्तर्गत शामिल सल्फाडायज़ीन एपीआई पर अधिसूचना सं. 41/2025-26 दिनांक 10.10.2025 द्वारा लागू न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्तों का उपरोक्त उक्त अधिसूचना की अन्य सभी नियम और शर्तों के समान रहते हुए दिनांक 30.11.2026 तक की अवधि के लिए विस्तार करती है।

अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी एचएस 2022 के अध्याय 29, अनुसूची-I (आयात नीति) के अंतर्गत शामिल सल्फाडायज़ीन एपीआई के आयात पर लागू न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) @ 1774 रु. प्रति किलोग्राम लागत, बीमा और भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य को दिनांक 30.11.2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/55/एम-25/पीसी-2(ए)/ई-44029]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

No. 40/2026-27

Subject: Extension of Minimum Import Price (MIP) Condition on Sulfadiazine API covered under Chapter 29 of ITC HS, 2022, Schedule -I (Import Policy)-regarding.

S.O. 5398(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby extends the Minimum Import (MIP) condition imposed vide Notification No. 41/2025-26 dated 10.10.2025 on Sulfadiazine API covered under Chapter 29 of ITC HS, 2022, Schedule -I (Import Policy), for a period up to 30.11.2026 with all other terms and conditions of the above said notification remaining the same.

Effect of the Notification: Minimum Import Price (MIP) @ Rs.1774 per Kg on Cost, Insurance, and Freight (CIF) value, imposed on import of Sulfadiazine API covered under Chapter 29 of ITC HS 2022, Schedule-I (Import Policy) has been extended for the period up to 30.11.2026.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/55/AM-25/PC-2(A)/E-44029]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.